राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33 / नेत्र सहा. / एफ–1772 / 2024 / 250 दिनांक : 31/05/2024

1 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

2 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय :– राजकीय अस्पतालों में नेत्र जांच हेतु आवश्यक उपकरण, कमरा उपलब्ध करवाने व नेत्र सहायकों से नेत्र संबंधित कार्य करवाने के संबंध में

संदभ :– प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान ऑप्थेल्मिक एसोसिऐशन द्वारा प्रेषित मांग पत्र दिनांक

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रांक के क्रम में लेख है कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नेत्र सहायक संवर्ग के मुख्य कार्य अस्पताल में आने वाले नेत्र रोगियों की जांच, प्राथमिक उपचार, चश्मे की जांच, काले पानी की जांच, आंख में गिरे हुए बाहरी कचरे को निकालना इत्यादि है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अस्पताल में आने वाले नेत्र रोगियों की जांच करने के लिए नेत्र सहायक को ओपीडी में एक कमरा (नेत्र परीक्षण कक्ष) उपलब्ध करवाते हुये नेत्र जाँच हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाएं जाये, साथ ही अस्पताल में कार्यरत नेत्र सहायक संवर्ग कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जॉब चार्ट के अनुसार नेत्र विभाग से संबंधित कार्य ही करवाया जाए ताकि राज्य की जनता को नेत्र संबंधी रोग एवं जाँच की उच्चतम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

संलग्नः– जॉब चार्ट की प्रति।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– ई–33 / नेत्र सहा. / एफ–1772 / 2024 / 250 दिनांक : 31/05/2024

प्रतिलिपिः–

1. श्री सुरेन्द्र गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान ऑप्थेल्मिक एसोसिऐशन।
2. प्रभारी सर्वर रूम।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज. जयपुर

RajKaj Ref 7644008

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation :Director
Date :31-05-2024 01:41:22

E:\Yadav\L T/Letter-1/2023/

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई–33 /तिथि/ जॉब चार्ट / नेत्र सहायक / 2021 / 230 दिनांक : 20/7/20

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक) संवर्ग का जॉब–चार्ट (कार्य एवं उत्तरदायित्व) निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है :–

1. **Opthalmic Assistant** : Opthalmic Assistant will be responsible for eye care services including IEC and training activities in his area. Broadly his roles & responsibilities are grouped as below :
   - He will be responsible for registration, diagnosis and treatment of ophthalmic cases coming to PHC/CHC, and refer complicated cases to District Hospital.
   - He will do refraction and prescribe glasses for vision correction.
   - He will do tonometery for glaucoma identification, A-scan, Keratometery for IOL.
   - He will provide pre-operative examination and prepare case for operation assist in eye operation and post operation care.
   - He will do follow up of the operated cases.
   - He will assist in conduction of eye camps.
   - He will assist MOs of PHCs & CHC area in school health program for early detection and correction of refractive errors and other minor eye ailments.
   - He will be responsible for recording and reporting data related with Ophthalmic care (cataract survey vitamin-A records etc).
   - He will motivate community for eye donation and create awareness for prevention and early detection and treatment of eye ailments.

   Note: Ophthalmic Assistant has technical skills of a specific nature and should be used only for this purposes.

2. **Ophthalmic Assistant Grade-I** : In addition to the work performed by an Ophthalmic Assistant, their work includes, management, stock maintaining & in-chargship of Eye OT and Eye OPD, maintenance of essential OT instruments, diagnosis & prescribe primary treatment of eye patients, chalazion & stye removal, pterygium excision, contact lens fitting, visual field perimetry, FB removing, syringing, slit lamp examination, enucleation for eye donation etc. Other than that they are also responsible for peribulbar or retrobulbar block /anesthesia.

क्रमशः पेज 2 ......

3. **Optometrist** : In addition to the work performed by an Ophthalmic Assistant and Ophthalmic Assistant Grade I, their work includes, organizing & managing free eye camps, reporting of school eye screening program, inspection and verification of optical shops, operation & management of eye department, A-scan, B-scan, keratometry, fundus examination, NCT, OCT, FFA operating, synoptophore testing, diplopia charting etc.

4. **Ophthalmic Officer**: In addition to the work performed by an Ophthalmic Assistant, Ophthalmic Assistant Grade I and Optometrist their work includes, inspection & verification of eye camp in presence of CMHO / DPM / PMO, successful operation of SES events, investigation & verification of claims presented by NGO for eye operation camps, checking & inspection of the paramedical exam, verification of static center for cataract surgery, issuing blindness certificate, vision certificate & color vision certificate for driving license & other purposes, etc.

विभाग के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक) संवर्ग का उपरोक्तानुसार जॉब–चार्ट (कार्य एवं उत्तरदायित्व) तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

230
20/7/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई जयपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर